

पृष्ठ 4
सर्दियों में वर्कआउट या वॉक के दौरान ठंडा या गर्म, कौन सा पानी पीना चाहिए ?



पृष्ठ 5
अकिनेनी नागार्जुन ने हनीमून एक्सप्रेस का फस्ट लुक जारी



- देहरादून
- वर्ष 31
- अंक 317
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00

आज का विचार

आपत्तियाँ मनुष्यता की कसौटी हैं। इन पर खरा उतरे बिना कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता।
— पं. रामप्रताप त्रिपाठी

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

email: doonvalley_news@yahoo.com

आर.एन.आई.- 59626/94 Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

चालकों की हड़ताल से यात्री परेशान

विशेष संवाददाता
देहरादून। नए परिवहन नियमों को अत्यधिक सख्त किए जाने से देश के वाहन चालकों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार नए कानून को वापस ले अन्यथा वह आर-पार के आंदोलन पर मजबूर होंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर आज से ड्राइवरों ने तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। चालकों की इस हड़ताल को मोटर तथा ट्रक और तमाम टैक्सी यूनियनों का समर्थन मिलने के कारण इसका व्यापक असर देखा जा रहा है।



ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो और विक्रमों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रोडवेज की बसों से लेकर ट्रकों व टैक्सियों तथा ऑटो की हड़ताल से

हर जगह यात्रियों की भीड़ लगी हुई है तथा उन्हें आगे जाने के लिए कोई साध

- नए कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल
- ट्रक, बस, टैक्सी, विक्रम और ऑटो सब बंद

न उपलब्ध नहीं है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए अभी हाल में ही कानून में कुछ बदलाव किए गए थे, जिसके तहत सड़क हादसे में

मौत होने की स्थिति में ड्राइवर को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ड्राइवरों का कहना है कि इस तरह के सख्त कानून के बीच सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। अब तक सड़क दुर्घटनाओं के लिए जो कानून थे उसमें सड़क हादसे के बाद ड्राइवर को तत्काल जमानत मिल जाती थी। लेकिन अब सड़क हादसे में मौत की स्थिति में उसे जमानत नहीं मिल सकती है और अब उसका जेल से बाहर आना भी संभव नहीं है।

चालकों का शेष पृष्ठ 7 पर

आबकारी विभाग ने नए साल पर बनाया वनडे लाइसेंस का नया रिकॉर्ड

विशेष संवाददाता
देहरादून। नए साल पर आबकारी विभाग ने 235 वनडे लाइसेंस जारी कर नया कीर्तिमान बना डाला है। यही नहीं वन डे लाइसेंस की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाकर सरकारी राजस्व में जो इजाफा किया है वह तो अलग रहा बाहर से अवैध रूप से आने वाली शराब और अवैध रूप से शराब पिलाने वालों पर सख्ती से लगाम लगाने पर आबकारी विभाग सफल रहा है।

आबकारी कमिश्नर एस.सी. सेमवाल द्वारा इस आशय की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस बार नए साल के जश्न के लिए 24 घंटे (वन डे) के लिए रिकॉर्ड 235 लाइसेंस जारी किए गए जो अब तक दिए जाने वाले वन डे लाइसेंस की संख्या में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि इस साल भले ही वन डे लाइसेंस देने की व्यवस्था



अवैध शराब की बिक्री व पीने-पिलाने वालों की दृष्टी कमर सरकार और आबकारी विभाग की कमाई में हुआ इजाफा

ऑनलाइन की गई थी लेकिन इसके साथ ही आबकारी विभाग द्वारा इन लाइसेंसों को लेकर दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए 7 टीम बनाई गई थी। जिनके द्वारा यह जांच की गई कि जो वन डे लाइसेंस दिया जा रहा है वह पूर्णतया सही है या

नहीं। उन्होंने बताया कि इस साल ऐसी कोई धांधली सामने नहीं आई है कि लाइसेंस धारी ने लाइसेंस घर के नाम लिया हो और उसका उपयोग होटल या रेस्टोरेंट में किया गया हो।

उन्होंने कहा कि सभी लाइसेंसों में 100 प्रतिशत शर्तों का अनुपालन किया गया है। साथ ही व्यापक स्तर पर वन डे लाइसेंस दिए जाने से नए साल पर अवैध रूप से बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले होटल व रेस्टोरेंटों पर लगाम शेष पृष्ठ 7 पर


नए साल पर इसरो ने रचा इतिहास, एक्स-रे पोलरिमीटर उपग्रह को किया सफलतापूर्वक लांच

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक्स-रे पोलरिमीटर उपग्रह समेत कुल 11 उपग्रहों को लेकर जा रहे एक पीएसएलवी रॉकेट का सोमवार को यहां लांच किया गया। इसरो का पहला एक्स-रे पोलरिमीटर उपग्रह (एक्सपोसैट) एक्स-रे स्रोत के रहस्यों का पता लगाने और 'ब्लैक होल' की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करने में मदद करेगा। लॉन्चिंग के लिए 25 घंटे की उलटी गिनती खत्म होने के बाद 44.4 मीटर लंबे रॉकेट ने चेन्नई से करीब 135 किलोमीटर दूर इस अंतरिक्ष तल से उड़ान भरी और इस दौरान बड़ी संख्या में यहां आए लोगों ने जोरदार ढंग से तालियां बजायीं। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी)-सी58 रॉकेट अपने 60वें अभियान पर प्रमुख पेलोड 'एक्सपोसैट' और 10 अन्य उपग्रह लेकर गया है जिन्हें पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। इसरो के अनुसार, यह खगोलीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन का अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है। उसने कहा कि एक्स-रे ध्रुवीकरण का अंतरिक्ष आधारित अध्ययन अंतरराष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ में एक्सपोसैट मिशन एक अहम भूमिका निभाएगा।

जापान में आया 7.5 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी

टोक्यो। जापान में नए साल के पहले ही दिन भूकंप के भारी झटके महसूस किए गए हैं। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। ये भूकंप नॉर्थ सेंट्रल जापान में महसूस किया गया है। इन भूकंप के झटकों के बाद जापान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इशिकावा, निगाटा और टोयामा प्रान्त के तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की है। साउथ चाइना मॉनिंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम एजेंसी ने भविष्यवाणी की है कि इशिकावा प्रांत में 5 मीटर ऊंची लहरें पहुंच रही हैं।



एनचएके की रिपोर्ट में बताया गया है कि इशिकावा में वाजिमा शहर के तट पर 1 मीटर से ऊंची लहरें उठ रही हैं। जापान में तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को जगह खाली कर, ऊंची सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। प्रशासन के मुताबिक निगाटा और टोयामा में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं।

जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे जापान में अभी तक 11 भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। नए साल के दिन आया

भूकंप टोक्यो और कांटो इलाके में भी महसूस किया जा चुका है।

एनचएके की रिपोर्ट के अनुसार, होकुरिकु इलेक्ट्रिक पावर ने कहा कि वह अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी भी अनियमितता की जांच कर रहा है। दरअसल जापान में मार्च 2011 में 9 तीव्रता वाले भूकंप के कारण जबर्दस्त सुनामी आई थी। तब उठी सुनामी की लहरों ने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया था। इसे पर्यावरण को नुकसान के लिहाज से बड़ी घटना माना गया था। तब समुद्र में उठी 10 मीटर ऊंची लहरों ने कई शहरों में तबाही मचाई थी। इसमें करीब 16 हजार लोगों की मौत हुई थी।

